संख्या–2114 /71–4–2020–07/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर, 2020

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0–3/2020/2461 दिनांक 14.12.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू0जी0 नीट–2020 के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2020–21 में प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के संस्थानों में संचालित एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश/नामांकन की प्रक्रिया गतिमान है तथा मॉप–अप राउण्ड की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि 22.12.2020 है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उक्त तिथि के पूर्व उपलब्ध समस्त रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट हो क्योंकि समय से रिक्तियों की सूचना उपलब्ध न हो पाने के कारण मॉप–अप राउण्ड में उच्च मेरिट के छात्रों को नामांकन/प्रवेश का अवसर प्रभावित होता है।

3– अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त संस्थाओं में उपलब्ध एम0बी0बी0एस0 व बी0डी0एस0 की रिक्तियों की सूचना लिखित रूप में प्रत्येक दशा में दिनांक 21.12.2020 को अपरान्ह 6.00 बजे तक संस्थाओं से प्राप्त कर ली जाएं। समयान्तर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने का व्यक्तिगत उत्तर दायित्व संबंधित प्राधानाचार्य का होगा। उक्त तिथि व समय के उपरांत प्राप्त रिक्तियों की सूचना को स्वीकार नहीं किया जाए तथा मॉप–अप राउण्ड में उन्हीं रिक्तियों को सम्मिलित किया जाए जिसकी सूचना दिनांक 21.12.2020 को अपरान्ह 6.00 बजे तक उपलब्ध हों। मॉप–अप राउण्ड के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जायेगा उन्हें सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी तथा ऐसी किसी भी सीट रिक्ति को आगे रिक्ति के रूप में गणना नहीं की जायेगी। माप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों से इस आशय की अण्डरटेकिंग ली जाएगी कि वे प्रवेश के उपरांत सीट रिक्त नहीं करेंगें। यदि कोई अभ्यर्थी मॉप–अप राउण्ड के पश्चात त्यागपत्र देता है, तो त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा और उस सीट को रिक्ति के रूप में आंगणित नहीं किया जायेगा।

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय मामलों में प्रवेशित अभ्यर्थियों व मेडिकल कालेज प्रशासन के मध्य दुरभिसंधि कर निर्धारित समय–सीमा एवं नियमों के प्रतिकूल त्यागपत्र कालान्तर में दिलाये जाते हैं यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है, तो संबंधित कालेज के विरूद्ध जांचोपरान्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मॉप–अप राउण्ड के लिए घोषित तथा उपलब्ध रिक्तियों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाए तथा मॉप–अप राउण्ड के लिए घोषित किन्तु मॉप–अप राउण्ड से न भर पाने वाली रिक्तियों के सापेक्ष ही 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थियों की सूची नामांकन हेतु संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाए। समस्त प्रतिभागी छात्रों को तद्नुसार अवगत कराने का उत्तर दायित्व संबंधित संस्था के निदेशक/प्रधानाचार्य/कुलपति का होगा। मॉप–अप राउण्ड की कार्यवाही विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी के0जी0एम0यू0, लखनऊ के कलाम सेन्टर में सम्पादित की जाएगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 2114 (1)/71–4–20–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मॉप–अप राउण्ड की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्धारित तिथियों पर के0जी0एम0यू0, लखनऊ के कलाम सेन्टर का आवंटन करने का कष्ट करें।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
11. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
12. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव

LKM GO 2018

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3/यू0जी–2020/2498 दिनांकः– 17 दिसम्बर,2020

उपरोक्त शासकीय पत्र दिनांक 16.12.2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली।
2. सचिव, डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेण्टल कालेज, उत्तर प्रदेश।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।